-1-

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र०, ग्वालियर
कैम्प सागर संभाग सागर (म०प्र०)

महेन्द्रकुमार जैन (भूसा वारे) आयु ४५ साल
पिता स्वर्गीय हजारीलाल जैन साकिन वण्डा
तहसील वण्डा जिला, सागर (म०प्र०) -- -- अपीलार्थी

-: बनाम :-

मध्य प्रदेश शासन -- -- प्रतिअपीलार्थी

राजस्व अपील०क्र० A/682000-2001 ता०प्रस्तुत 3-8-2001

अपील अन्तर्गत धारा ४४(२) म०प्र०भू०राजस्व संहिता १९५९

अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के राजस्व अपील क्रमांक १३९९।६८ ९७-९८ निर्णय दिनांक ३०-४-२००१ से पीड़ित होकर अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी वण्डा के रा०प्र०क्र० १४९।६८ ९५-९६ निर्णय दिनांक १७-६-९७ से परिवेदित होकर प्रस्तुत की थी जिसका आदेश विधि तथा विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल तथा सारवान विवाद्यक का अवधारण नही हो सका है । प्रक्रिया संबंधी गंभीर रूप से विनिश्चय मे त्रुटि हुई है । इसलिये समयावधि मे यह अपील विधि एवं तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत करता है :-

अपील का संक्षिप्त विवरण

१- यह कि अपीलार्थी एवं उसके भाई अरविन्द जैन ने बैनामा दिनांक १४-६-९२ एवं बैनामा दिनांक १८-६-९२ विक्रेता ठा० श्री दीवान राजेन्द्रसिंह आयु ६८ साल तनय विजय बहादुरसिंह बुन्देला साकिन दलीपुर बमनौरा जिला छतरपुर म०प्र० से उनकी मालकियत का मकान व जमीन बैनामा के साथ संलग्न नक्शानुसार खरीद कर कबजा माल काना खास प्राप्त किया था । उसी मकान को मिटाकर

...रता से अधीनस्थ

 सपठि 1575 ई/01 भाग

30-8-16	आवेदक अधि० श्री महेन्द्र कुमार मिश्रा उप० । आवेदक द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। आवेदक अधि० का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण Not Press में दर्ज करके समाप्त किया जाता है।	Not Press 30/8/16